

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 284 /स्थाना0/2026-27 दिनांक 27 अगस्त 2026
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-400683/XXX(2)2026/ई-26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानांतरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1)(ख) (पांच) में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पदनाम/ विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	मोहिन्द्र सिंह	स0अ0 सामान्य	रा0पू0मा0वि0 चिलाऊ	नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 पीडा, जयहरीखाल
2	श्री महावीर प्रसाद कुलाश्री	स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 बूंगा	रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 जयगांव दुगड़डा
3	शशि बिष्ट	स0अ0, भाषा	रा0क0उ0प्रा0वि0 पाली	जयहरीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 जमरखेत द्वारीखाल
4	अरुण कुमार	स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 गंवाणा मल्ला	पोखड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 सकन्याणीखाल, जयहरीखाल
5	रमेश चन्द्र भट्ट	स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 पठोलगांव	पोखड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 गाजा, रिखणीखाल
6	विष्णु प्रसाद चमोली	स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 काण्डा मल्ला	बीरोंखाल	रा0उ0प्रा0वि0 टुण्डा यमकेश्वर
7	श्री बीरेन्द्र सिंह	स0अ0, विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 घण्डियाली,	थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 पांग, पाबौ
8	श्री कृष्णबल्लभ गोदियाल	स0अ0, विज्ञान	रा0पू0मा0वि0 सलोन	थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 बगड, पाबौ,
9	श्रीमती बीना रानी लिंगवाल	स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 पटोटी	पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 जमलाखाल, कोट
10	श्री हरिचरण सिंह रावत	स0अ0, सामान्य	रा0पू0मा0वि0 भैलासैण	थलीसैण	रा0पू0मा0वि0 धोबीघाट, बीरोंखाल,

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानांतरित अध्यापकों को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(अंशुल बिष्ट)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
 पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6192-6204 /स्थाना0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 6- जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 201 /स्थाना0/2026-27 दिनांक 27 अगस्त 2026
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-400683/XXX(2)2026/ई-26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षि0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1)(ख)(चार) में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पदनाम/ विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 उतिण्डा	द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 जामलाखाल कोट
2	परमिन्दर सिंह	स0अ0, भाषा	रा0पू0मा0वि0 गिरगांव	पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 खेड़ा, यमकेश्वर
3	श्रीमती बनीता रावत	स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 पलीगांव	रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 जयगांव दुगड़डा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. समस्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(अंशुल बिष्ट)

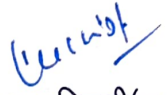
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6283-95 /स्थाना0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 6- जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानान्तरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो

ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
रौपड़ी गढ़वाल।